

## न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/322

1. नगर विकास न्यास अलवर

—अपीलान्ट

बनाम

1. रज्जू पुत्र नसरू निवासी ग्राम बहाला, तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज० ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़, तहसील रामगढ़, जिला अलवर ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 04-01-2024 जो कि उनवानि अपील रज्जू बनाम नगर विकास न्यास वगै० अपील संख्या 11/96/2023, रजिस्टर्ड नम्बर 2023/506 में माननीय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर द्वारा पारित किया गया, जिसके जरिये अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर श्रीमान् तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर द्वारा दिनांक 31-10-2012 को नामान्तरकरण संख्या 779 वाके ग्राम बहाला, तहसील रामगढ़, जिला अलवर को अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की हद तक निरस्त किया गया ।

उपस्थित—

1. श्री दिनेश प्रजापति, वकील अपीलान्ट ।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक—13.08.2024

1. यह अपीलराजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति० जिला कलेक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-01-2024 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंड संख्या 1 ने तहसीलदार रामगढ़ द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 31.10.2012 को गलत बताते हुये इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ़ के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 31.10.2012 बाबत् नामा० संख्या 779 प्रार्थी की हद तक निरस्त कर वादग्रस्त आराजी का नामा० प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 04.01.2024 को दिये गये ।
3. अति० जिला कलेक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अति० जिला कलेक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात सिवाय चक भूमि हैं, जो शहरी परिक्षेत्र में स्थित सिवाय चक व नजूल भूमि होने के कारण नगर विकास न्याय अलवर में निहित हो जाती हैं और बाद अधिसूचना ऐसी आराजी का निस्तारण बिना नगर विकास अलवर को सुने बिना नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य की ओर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जबकि अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। जिन दस्तावेजात की ओर कोई गौर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाते समय नहीं किया गया। नामान्तकरण संख्या 779 निर्णय दिनांक 31-10-2012 वाके ग्राम बहाला, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में वर्णित आराजीयात पूर्व में सिवाय चक भूमि रही हैं, ऐसी स्थिति में कानूनन सिवाय चक भूमि की खातेदारी किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं की जा सकती हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 प्रस्तुत अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि विवादित आराजीयात बाबत न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा राजस्व वाद रज्जूबनाम राजस्थान सरकार वाद संख्या 1/247 दिनांक 31-03-2011 को स्वीकार कर उसके पक्ष में वाद डिकी किया गया है, तथा उसे विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, किन्तु डिकी की पालना नहीं की गई, इस सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलान्ट का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क रहा है कि न्यायालय द्वारा पारित डिकी को 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा डिकी की पालना हेतु मियाद अवधी जो कि 12 वर्ष हैं समाप्त हो चुकी हैं तथा उपरोक्त डिकी जिस आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं, शून्य व निष्फल हो चुकी हैं, जिस डिकी से अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 को जिला अलवर के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। और डिकीकी पालना राजस्व रिकार्ड में रिकार्ड में नहीं हो रही थी तो अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 को डिकी की इजराय न्यायालय में पेश कर आदेश प्राप्त कर डिकी की पालना करायी जानी चाहिये थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात सिवायचक भूमि हैं, जो शहरी परिक्षेत्र में स्थित सिवायचक व नजूल भूमि होने के कारण नगर विकास न्याय अलवर में निहित हो जाती हैं और बाद अधिसूचना ऐसी आराजी का निस्तारण बिना नगर विकास अलवर को सुने बिना नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य की ओर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 779 निर्णय दिनांक 31-10-2012 वाके ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में वर्णित आराजीयात पूर्व में सिवायचक भूमि रही हैं, ऐसी स्थिति में कानूनन सिवायचक भूमि की खातेदारी किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं की जा सकती हैं। अतः अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अपील प्रस्तुत होने के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत

करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसे में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त पूर्व में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज रही है जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(23)न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मुख्य नगर नियोजन (एन.सी.आर.) जयपुर को अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील अलवर के 76 राजस्व ग्रामो एवं तहसील रामगढ के 10 ग्रामों को शामिल किया गया और उनका सिविल सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है जिस अधिसूचना के बाद सिवायचक भूमि धारा 43 नगर विकास न्यास अधिनियम एवं धारा 102 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के अधीन न्यास में निहित होने पर जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक राजस्व/12/9902-13 दिनांक 31.10.2012 के अनुसरण में उक्त नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 31.10.2012 को नगर विकास न्यास अलवर के नाम स्वीकार किया गया है तथा रेस्पोजेन्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 31.10.2012 के विरुद्ध असाधारण विलम्ब से लगभग 11 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन किये जाने के ठोस व संतोषजनक कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं रहे हैं नामान्तरकरण संख्या 779 निर्णय दिनांक 31-10-2012 वाके ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर में वर्णित आराजीयात पूर्व में सिवायचक भूमि रही हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक भूमि की खातेदारी व्यक्ति विशेष को प्रदान की गई है। विवादित आराजीयात् सिवायचक भूमि है जो शहरी परिक्षेत्र में स्थित सिवायचक व नजूल भूमि होने के कारण नगर विकास न्यास में निहित हो जाती है और बाद अधिसूचना ऐसी आराजी का निस्तारण बिना नगर विकास न्यास अलवर को सुने नहीं किया जा सकता है। कानूनन सिवायचक भूमि पर कोई वैध रूप से शान्ति पूर्ण या निरन्तर कब्जा नहीं होता है, न ही माना जा सकता है। लिहाजा सिवायचक भूमि की खातेदारी की घोषणा किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2024 पारित किया गया है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोजेन्ट्स की हद तक निरस्त किये गये नामान्तरकरण संख्या 779 वाके ग्राम ढाढोली तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 को बहाल किया जाकर राजहित में पुनः नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(डॉ आरूषी मलिक)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।